

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुरेश कुमार बलाई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 14/2025

तारीख दायर :- 07.05.2025

तारीख फैसला :- 21/11/2025

1. श्री लालीया पिता माना मीणा निवासी वलीयाखेडा, खजुरी तहसील लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)



प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता पुरीलाल मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री मनोज पिता पुरीलाल निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती कानकी पत्नी धुलिया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री गमाना पिता धुलिया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्री चोकाराम पिता धुलिया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्री धनराज पिता रकबीया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
7. श्री नाथू पिता धुलिया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
8. श्री नारायण पिता खानिया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
9. श्री पालिया पिता धुलिया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
10. नाबालिग श्री बद्रीलाल पिता शंकर मीणा संरक्षक माता श्रीमती बादामी पत्नी शंकर मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
11. श्रीमती बादामी पिता शंकर मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
12. श्री रमेश पिता गांगा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
13. श्रीमती राधकी पिता रखबीया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
14. श्री शंकर पिता धुलिया मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
15. श्री नानालाल पिता भेरा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
16. श्री मांगु पिता भेरा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
17. श्री मिठ्ठुलाल पिता भेरा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
18. श्री शंकरलाल पिता भेरा मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
19. श्री रूपा पिता धुला मीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी  
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

20. श्री हिरा पिता हीमा भीणा निवासी देवलीया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
21. श्री गोतीया पिता केशरा भीणा निवासी अग्गड तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
22. श्री रामींगा पिता केशरा भीणा निवासी अग्गड तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
23. श्री नारीया पिता केशरा भीणा निवासी अग्गड तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
24. सरकार जरिये तहसीलदार लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

.....अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट.

उपस्थिति - वादी की ओर से - अधिवक्ता श्री जॉनी जैन

प्रतिवादी की ओर से - एक तरफा

:-निर्णय:-



प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या नया 89 पुराना 88 के आराजी संख्या 2 रकबा 3.1212 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम देवलीया पटवार हल्का देवलीया भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र देवलीया, तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर में स्थित है। जो प्रार्थीगण एवं अन्य के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थीगण व अन्य ने अपनी सीमा जानकारी विपक्षीगण की मौजूदगी में करा रखी है, फिर भी विपक्षीगण प्रार्थीगण की सीमा के बारे में आये दिन झगडा करते रहते हैं व प्रार्थीगण व विपक्षीगण के खातेदारी सीमा आपस में मिली हुई है, इसलिये विपक्षीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण की सीमाओं में घुसकर अतिक्रमण करने पर उतारू हैं, इसलिये उक्त आराजी भूमि पर विपक्षीगण व प्रार्थीगण के मध्य पत्थरगढी कराई जाकर डिमारकेशन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। विपक्षीगण लडाई झगडा करने पर आमादा है व प्रार्थीगण के उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिये पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। विपक्षीगण लडाकु व झगडालु होकर प्रार्थीगण की जमीन को हडपने के लिये आये दिन झगडा करते रहते हैं व प्रार्थीगण की फसल व घास का नुकसान करते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम देवलीया, ग्राम पंचायत देवलीया पटवार हल्का देवलीया के खाता खाता संख्या नया 89 पुराना 88 के आराजी संख्या 2 रकबा 3.1212 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम देवलीया पटवार हल्का देवलीया भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब लसाडिया के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगणों को विधिवत् तामिल होने के उपरान्त भी बावजूद सुचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तत्पश्चात् तहसीलदार लसाडिया का जवाब तलब किया जवाब में तहसीलदार लसाडिया द्वारा पत्थरगढी की अनुशषा के आधार पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं।


हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण का कथन है

कि विपक्षीगण, प्रार्थीगण की जमीन को हडपने की नियत से प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसने की कोशिश करते हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। विपक्षीगण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र सहमत है उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम देवलीया, ग्राम पंचायत देवलीया पटवार हल्का देवलीया के खाता संख्या नया 89 पुराना 88 के आराजी संख्या 2 रकबा 3.1212 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम देवलीया पटवार हल्का देवलीया, भूमि की मौके स्थल पर पत्थरगढी हेतु एक ट्रौली पत्थर की व्यवस्था प्रार्थीगणों की रहेगी भूमि की दोनो पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 4000/- रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालनार्थ तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक ..... 21/11/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
(सुबेडिविजनल ब्लाई (RAs)  
उपखण्ड अधिकारी  
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)